आकस्मिक बाढ़ (Flash floods)

सन्दर्भ: विगत 4 अक्टूबर, 2023 को, भारी बारिश के कारण भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित एक ग्लेशियर झील साउथ लोनाक में अचानक बाढ़ आ गई।

परिभाषा:

- आकस्मिक बाढ़ अचानक और तीव्र आने वाली बाढ़ की घटनाएँ हैं जो बहुत ही कम समय के भीतर घटित होती हैं।
- वे लक्षण में अत्यधिक स्थानीयकृत होते हैं, लेकिन अचानक होने के कारण अत्यधिक क्षति पहुंचा सकते हैं।

भारत में आकस्मिक बाढ़ के कारण:

- कम समय (अक्सर 6 घंटे से भी कम) में अत्यधिक या लगातार वर्षा का होना।
- इस समय भारत में मानसून के मौसम (जून से सितंबर) के दौरान कुल वर्षा का लगभग 75% सांद्रण होता है।
- यह विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटना और तूफान आने के कारण होता है।
- हिमालयी राज्यों में ग्लेशियरों के पिघलने से ग्लेशियर झीलों में उफान आना भी इसका एक कारण हो सकता है।
- उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे तटीय क्षेत्रों में भी चक्रवाती तूफान आते रहते हैं।
- आकस्मिक बाढ़ बांध के अतिप्रवाह, तटबंधों में दरार और जंगल की आग जैसे कारकों के कारण भी हो सकती है।
- जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग ने इन घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ा दिया है।

खतरे और प्रभाव:

- आकस्मिक बाढ़ से अक्सर भूस्खलन होता है, जिससे प्राकृतिक आपदा की संभावना बढ़ जाती है।
- यद्यपि विशिष्ट मिट्टी, चट्टानी और ढलान की स्थिति वाले पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का आना सामान्य घटना है।
- निचले इलाकों में तेजी से पानी जमा होने के कारण अचानक आने वाली बाढ़ विशेष रूप से खतरनाक होती है। इन क्षेत्रों में नदी तल, घाटी और खराब जल निकासी व्यवस्था वाले शहरी क्षेत्र शामिल हैं।

भारत की स्थिति:

- भारत वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित देशों में से एक है,यह बांग्लादेश के बाद दूसरे स्थान पर है।
- राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार, भारत में लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बाढ़ के प्रति संवेदनशील होती है।
- वैश्विक बाढ़ से होने वाली मौतों में एक बड़ा हिस्सा भारत का है।
- चेन्नई और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में अचानक बाढ़ देखी गई है।

क्षेत्रीय कारक:

- हिमालयी राज्यों सहित महाराष्ट्र और केरल के पश्चिमी घाटों में आकस्मिक बाढ़ का एक सामान्य कारण बादल का फटना है।
- हिमालयी राज्यों को ग्लेशियर पिघलने के कारण बनी अतिप्रवाहित हिमनद झीलों से अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- इसके अतिरिक्त देश के अन्य क्षेत्रों में भी विभिन्न कारकों के कारण आकस्मिक बाढ़ आ सकती है, जिसमें तटीय क्षेत्रों में अवसाद और चक्रवाती तूफान तथा असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में तटबंधों का टूटना शामिल है।

विश्व के उभयचरों की स्थिति, 2023

सन्दर्भ: दूसरे वैश्विक उभयचर मूल्यांकन (GAA2) के आधार पर, एक हालिया अध्ययन ने जलवायु परिवर्तन को उभयचर जीवन के लिए सबसे गंभीर खतरे के रूप में चिन्हित किया है।

- 4 अक्टूबर को नेचर पत्रिका में प्रकाशित 'उभरते खतरों के सामने दुनिया के उभयचरों में हो रही गिरावट' शीर्षक से एक हालिया अध्ययन में दो दशकों के वैश्विक डेटा का विश्लेषण किया गया।

- यह अध्ययन, दूसरे वैश्विक उभयचर मूल्यांकन का हिस्सा है, जिसमें 1,000 से अधिक विशेषज्ञ शामिल थे और पहली बार 2,286 सहित 8,000 से अधिक उभयचर प्रजातियों का मूल्यांकन किया गया था।
- इस डेटा के अनुसार 40% उभयचर प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा है, और इन निष्कर्षों को आईयूसीएन की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल किया जाएगा।
- 2004 और 2022 के बीच, 300 से अधिक उभयचर प्रजातियां विलुप्त होने के करीब पहुंच गईं, जिनमें से 39% के लिए जलवायु परिवर्तन प्राथमिक खतरा है।
- एम्फ़िबियन रेड लिस्ट अथॉरिटी द्वारा 2015 में शुरू किया गया ग्लोबल एम्फ़िबियन असेसमेंट (GAA), संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट के लिए सभी उभयचर प्रजातियों का आकलन करता है।

जाँच - परिणाम

- 2004 से 2022 तक 300 से अधिक उभयचर प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं।
- प्रत्येक 5 में से 2 उभयचर प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं।
- सैलामैंडर सर्वाधिक संकटग्रस्त समूह है, जिसकी 5 में से 3 प्रजातियाँ खतरे में हैं।
- विश्व स्तर पर, 41% उभयचर प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं।
- प्रजातियों के लिए मुख्य खतरों में निवास स्थान का नुकसान, जलवायु परिवर्तन, बीमारी, आग, आक्रामक प्रजातियाँ और अत्यधिक शोषण शामिल हैं।
- नव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सर्वाधिक संकटग्रस्त जैव-भौगोलिक क्षेत्र हैं।
- सीमित गतिशीलता के कारण उभयचर जलवायु परिवर्तन से प्रेरित चरम मौसम की घटनाओं से बचने के लिए संघर्ष करते हैं।
- यद्यपि कुछ क्षेत्रों में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं, खासकर जब महत्वपूर्ण आवास संरक्षित हैं।

उभयचर

- उभयचर वर्ग कशेरुक हैं, जो चार अंगों और एक्टोथर्मिक चयापचय की विशेषता वाले होते हैं।
- सभी जीवित उभयचरों को लिसाम्फिबिया समूह के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- वे विविध प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों में निवास करते हैं, जिनमें स्थलीय, जीवाश्म, वृक्षीय और मीठे पानी के जलीय वातावरण शामिल हैं।
- उभयचर आमतौर पर अपना जीवन चक्र जलीय लार्वा के रूप में शुरू करते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियों ने इस चरण को बायपास करने के लिए स्वयं को अनुकूलित कर लिया है।
- युवा उभयचर गलफड़ों वाले लार्वा रूपों से फेफड़ों वाले वयस्क रूपों में कायांतरण प्रक्रिया से गुजरते हैं।
- उनकी त्वचा द्वितीयक श्वसन सतह के रूप में कार्य करती है, और कुछ छोटे सैलामैंडर और मेंढक श्वसन के लिए पूरी तरह से अपनी त्वचा पर निर्भर होते हैं।
- सरीसृपों के विपरीत, उभयचरों को उनकी जटिल प्रजनन आवश्यकताओं और पारगम्य त्वचा के कारण प्रजनन के लिए जल निकायों की आवश्यकता होती है।
- उभयचरों को अक्सर पारिस्थितिक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, और हाल के दशकों में दुनिया भर में उभयचर आबादी में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
- प्रारंभिक उभयचर डेवोनियन काल के दौरान मछली से विकसित हुए और अंततः स्थलीय जीवन के लिए अनुकूल हो गए।
- वे कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल के दौरान पनपे लेकिन बाद में सरीसृपों और अन्य कशेरुकियों द्वारा उनकी जगह ले ली गई।
- आधुनिक उभयचर, लिसाम्फिबिया समूह का हिस्सा, संभवतः लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले पर्मियन काल के दौरान टेम्नोस्पोंडिल्स (temnospondyls) से उत्पन्न हुए थे।
- उभयचरों के तीन मौजूदा क्रम अनुरा (मेंढक), उरोडेला (सैलामैंडर), और अपोडा (सीसिलियन) हैं।
- लगभग 8,000 उभयचर प्रजातियां ज्ञात हैं, जिनमें से लगभग 90% मेंढक हैं।
- सबसे छोटे उभयचर और कशेरुक न्यू गिनी मेंढक (पेडोफ्रीन अमाउंसिस) हैं, जिनकी लंबाई केवल 7.7 मिमी (0.30 इंच) है।
- सबसे बड़ा जीवित उभयचर दक्षिण चीन का विशाल सैलामैंडर (एंड्रियास स्लिगोई) है, जिसकी लंबाई 1.8 मीटर (5 फीट 11 इंच) है, लेकिन प्रागैतिहासिक टेम्नोस्पोंडिल जैसे मास्टोडोनसॉरस की लंबाई 6 मीटर (20 फीट) तक हो सकती है।
- उभयचरों के अध्ययन को बैट्राकोलॉजी के रूप में जाना जाता है, जबकि सरीसृप और उभयचर दोनों के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है।

वर्गीकरण

अपोडा (सीसिलिया)	उरोडेला (कौडेटा)	अनुरा (सैलिएंटिया)
• अंगहीन जीव जिनके शरीर पर शल्क होते हैं • आँखें अक्सर ढकी रहती हैं • सिर पर केमोरिसेप्टिव टेंटेकल्स का होना • विष ग्रंथियाँ धारण करना • पानी की कमी को कम करने के लिए बलगम का स्राव करते हैं • उदाहरण: सीसिलियन	• जीव जिनकी पूँछ होटी है • समान आकार के चार अंगों वाला लम्बा शरीर • विष ग्रंथियों वाली चिकनी त्वचा • आंतरिक निषेचन • कीड़े-मकौड़ों को खाते हैं • पत्तों के कूड़े, मिट्टी या पानी में पाया जाता है • मुख्य रूप से सर्दियों में प्रजनन करते हैं • यौन द्विरूपता • आंतरिक निषेचन के लिए स्पर्मेटोफोरस का उपयोग करते हैं • छिपे हुए गलफड़े हो सकते हैं • उदाहरण: सैलामैंडर	• चार अंग वाले जीव • सामने के अंग कूदने के लिए अनुकूलित होते हैं • सिर और धड़ जुड़े हुए होते हैं • पूंछ केवल लार्वा में मौजूद होती है, वयस्कों में खो जाती है • बाह्य निषेचन, पानी में अंडे देना • उदाहरण: मेंढक और टोड

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

07 October, 2023

धन विधेयक

सन्दर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि वह आधार अधिनियम जैसे कानूनों को धन विधेयक के रूप में पारित करने की वैधता के मुद्दे पर विचार करने के लिए सात न्यायाधीशों की पीठ का गठन करेगा।

- इस निर्णय का उद्देश्य धन विधेयक से संबंधित विवादों को संबोधित करना है।
- सरकार ने राज्यसभा में बहुमत की कमी से बचने के लिए आधार विधेयक और धन शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन को धन विधेयक के रूप में पेश किया है।
- मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. की अगुवाई वाली खंडपीठ चंद्रचूड़ ने घोषणा की है कि सभी लंबित सात-न्यायाधीशों की बेंच के मामलों को प्रक्रियात्मक निर्देशों के लिए 12 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया जाएगा।
- नवंबर 2019 में, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने वित्त अधिनियम, 2017 को धन विधेयक के रूप में पारित करने की वैधता की जांच करने के मुद्दे को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया।

धन विधेयक क्या है?

किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाता है यदि वह निम्नलिखित से संबंधित मामलों को संबोधित करता है:

- किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन।
- भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या गारंटी देने का विनियमन।
- भारत की समेकित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धन का भुगतान या निकासी।
- भारत की संचित निधि से धन का विनियोग।
- भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की घोषणा या ऐसे व्यय को बढ़ाना।
- भारत की संचित निधि या भारत के सार्वजनिक खाते से धन की प्राप्ति या ऐसे धन की अभिरक्षा या जारी करना।

संसद में धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया:

- धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
- उन्हें सरकारी विधेयक माना जाता है और केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है।
- राज्यसभा सिफारिशें कर सकती है लेकिन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती।
- राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर सिफ़ारिशों के साथ या बिना सिफ़ारिशों के यह बिल लोकसभा को लौटाना होगा।
- लोकसभा राज्यसभा द्वारा की गई किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
- यदि लोकसभा सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लेती है तो विधेयक संशोधित रूप में पारित हो जाता है।
- यदि लोकसभा किसी सिफ़ारिश को स्वीकार नहीं करती है, तो विधेयक को उसके मूल रूप में पारित माना जाता है।
- राष्ट्रपति किसी धन विधेयक पर सहमति दे सकता है या रोक सकता है, लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता।

धन विधेयक के दुरुपयोग से संबंधित मुद्दे:

- विधायी जांच को दरकिनार करने या राज्यसभा की जांच से बचने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।
- विवाद उत्पन्न करना, जैसे कि आधार अधिनियम के पारित होने के दौरान, इस बात को लेकर कि क्या कुछ विधेयक धन विधेयक के रूप में योग्य हैं।
- विधेयकों को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने में अध्यक्ष की भूमिका के बारे में चिंताएँ बनी रहती हैं।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

वामपंथी उग्रवाद

वामपंथी उग्रवाद के बारे में:

- वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई), जिसे नक्सलवाद या माओवाद के नाम से भी जाना जाता है, एक राजनीतिक विचारधारा और सशस्त्र आंदोलन है।
- इसका लक्ष्य मौजूदा सरकारों को समाप्त कर आमूल-चूल सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना है।
- ये हाशिए पर मौजूद समुदायों के अधिकारों और भूमि पुनर्वितरण का समर्थन करते हैं।
- भारत में, वामपंथी उग्रवाद विशेष रूप से माओवादी-प्रेरित समूहों को संदर्भित करता है जो सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से एक साम्यवादी राज्य की स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं।
- ये समूह ग्रामीण गरीबी, सामाजिक असमानताओं और सरकारी सेवाओं तक सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों में सक्रिय हैं।
- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र- मध्य और पूर्वी भारत में केंद्रित हैं, जिन्हें प्रायः **"रेड कॉरिडोर"** कहा जाता है।
- वामपंथी उग्रवादी समूह सशस्त्र विद्रोह, गुरिल्ला युद्ध और सुरक्षा बलों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमलों में संलग्न हैं।
- वे प्रायः जबरन वसूली, अपहरण और बाल सैनिकों सहित कैडरों की भर्ती का भी सहारा लेते हैं।

ब्यूरवेस्टनिक मिसाइल

ब्यूरवेस्टनिक मिसाइल (Burevestnik Missile) के बारे में:

- ब्यूरवेस्टनिक मिसाइल, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है **"स्टॉर्म पेट्रेल"**, रूस द्वारा विकसित एक जमीन से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है।
- इसका रणनीतिक महत्व है, क्योंकि यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और परमाणु शक्ति से संचालित है।
- रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2018 के अपने भाषण में ब्यूरवेस्टनिक को छह रणनीतिक हथियारों में से एक बताया था।
- नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) ने ब्यूरवेस्टनिक मिसाइल को **'एसएससी-एक्स-9 स्काईफॉल'** नाम दिया है।
- ब्यूरवेस्टनिक मिसाइल 14,000 मील (22,000 किमी) तक हमला करने में सक्षम है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | **LAXMI NAGAR :** 9205212500, 9205962002 | **RAJENDRA NAGAR:** 9205274743 | **UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ:** 0532-2260189, 8853467068 | **LUCKNOW** (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | **LUCKNOW** (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | **GREATER NOIDA:** 9205336037, 38 | **KANPUR:** 7887003962, 7897003962 | **GORAKHPUR** : 7080847474, 9161947474 | **ODISHA BHUBANESWAR:** 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

सतलज यमुना लिंक नहर

सतलज यमुना लिंक नहर क्या है?

- सतलज यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) एक नहर परियोजना है जिसका उद्देश्य सतलज और यमुना नदियों को जोड़ना है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य पंजाब से हरियाणा तक पानी पहुंचाना है

विवाद की उत्पत्ति:

- एसवाईएल नहर पर विवाद लंबे समय से चला आ रहा विवाद रावी और ब्यास नदियों के पानी के बंटवारे पर असहमति से उत्पन्न हुआ है।
- ब्यास नदी पंजाब में सतलुज नदी से मिलती है।
- 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद जल-बंटवारे का विवाद उभरा, जिसके कारण पंजाब से हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ।

ऐतिहासिक जल आवंटन:

- 1955 में पुनर्गठन से पहले, केंद्र ने अन्य राज्यों को आवंटन के साथ-साथ अविभाजित पंजाब को रावी और ब्यास जल का 8 एमएएफ (मिलियन एकड़ फीट) आवंटित किया था।
- 1976 में, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के कारण नए आवंटन हुए, जिससे हरियाणा को 3.5 एमएएफ प्रदान किया गया।
- 1981 में, ब्यास और रावी से बहने वाला पानी 17.17 एमएएफ होने का अनुमान लगाया गया था।

याक छुरपी (Yak Churpi)

हाल ही में, याक छुरपी को भौगोलिक संकेत (जीआई टैग) प्रदान किया गया है।

याक चुरपी के बारे में:

- याक चुरपी अरुणाचल प्रदेश के देशी याक के दूध से बना एक विशिष्ट डेयरी उत्पाद है।
- इसकी उत्पत्ति स्वदेशी अरुणाचली याक नस्ल से हुई है और इसे आदिवासी याक चरवाहों द्वारा पाला जाता है।
- यह मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग और तवांग जिलों में पाया जाता है।
- प्रोटीन से भरपूर, याक चुरपी ठंडे, पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण आहार है।
- इसका उपयोग सब्जी और मांस करी सहित विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है और अक्सर चावल के साथ खाया जाता है।

उभयचरों का विलोपन

के बारे में:

- उभयचर विषमतापी कशेरुकी (cold-blooded vertebrate) जानवरों का एक वर्ग है जो अपने अद्वितीय जीवन चक्र के लिए जाना जाता है जिसमें जलीय और स्थलीय दोनों चरण शामिल होते हैं।
- जलवायु परिवर्तन, 39% उभयचर प्रजातियों के लिए एक गंभीर खतरा है, जबकि 1980 और 2004 के बीच इससे केवल 1% उभयचरों के विलोपन का खतरा था।
- एक अध्ययन में 8,000 से अधिक उभयचर प्रजातियों का विश्लेषण किया गया, जिसमें IUCN रेड लिस्ट में 2,286 नई प्रजातियों को शामिल किया गया है।
- विश्व स्तर पर 40.7% उभयचर अत्यधिक असुरक्षित हैं।
- बीमारियाँ, निवास स्थान की हानि और जलवायु परिवर्तन उभयचरों के लिए अन्य उभरते खतरे हैं, जो मेंढकों, सीसिलियन और सैलामैंडर को प्रभावित कर रहे हैं।
- 1980 और 2004 के बीच उभयचरों की संख्या में 91% गिरावट का कारण बीमारियों और निवास स्थान का अभाव था।
- भारत के पश्चिमी घाट सहित विभिन्न क्षेत्रों में संकटग्रस्त उभयचरों की उच्च सांद्रता पाई जाती है।
- **प्रमुख संकट** : कृषि (77%), लकड़ी/पौधों की कटाई (53%), और बुनियादी ढांचे का विकास (40%) प्रमुख संकट हैं।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** जलवायु परिवर्तन और बीमारियों ने 2004 और 2022 के बीच 29% उभयचर प्रजातियों को प्रभावित किया है।

प्रोटीन बाइंडर्स (Protein Binders)

हाल ही में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डेयरी उत्पादों में प्रोटीन बाइंडर्स और एडिटिव्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

के बारे में:

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्पष्ट किया है कि डेयरी उत्पादों में प्रोटीन बाइंडर्स या किसी अन्य एडिटिव्स को मिलाने की अनुमति नहीं है।
- प्रोटीन बाइंडर्स जैविक अनुसंधान अभिकर्मक हैं जिनका उपयोग विशिष्ट प्रोटीनों को संघटित करने के लिए किया जाता है, जिससे विभिन्न नए खाद्य उत्पादों का निर्माण संभव होता है।
- प्रोटीन बाइंडिंग खाद्य उत्पादों के प्रदर्शन को या तो बढ़ा सकती है या ख़राब कर सकती है, यह उनके इच्छित उपयोग पर निर्भर करता है।

प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन-बाइंडर्स यौगिकों की पाचनशक्ति को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है, जो संभावित रूप से दूध प्रोटीन के जैविक और पोषक मूल्य को प्रभावित करते हैं।

- दूध प्रोटीन को आवश्यक अमीनो एसिड का एक उत्कृष्ट स्रोत माना जाता है।
- यह आसानी से पचने योग्य है और इसमें आमतौर पर कई पौधों पर आधारित प्रोटीन में पाए जाने वाले पोषण-विरोधी कारकों का अभाव होता है।

समाचारों में स्थान

आर्मीनिया

हाल ही में, 100,000 से अधिक अर्मेनियाई, जो विवादित नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र की लगभग पूरी आबादी है, पिछले दस दिनों के भीतर पड़ोसी आर्मेनिया में भाग गए हैं।

राजधानी: येरेवान

अवस्थिति : आर्मेनिया एक भूमि से घिरा देश है जो दक्षिण काकेशस क्षेत्र में स्थित है, जो तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान और ईरान की सीमा से घिरा है।

भौगोलिक विशेषताएं:

- **उच्चतम बिंदु:** माउंट अरागाट्स 4,090 मीटर पर उच्चतम बिंदु है।
- **माउंट अरारत:** माउंट अरारत, हालांकि अब तुर्की में है, सांस्कृतिक महत्व रखता है और ऐतिहासिक रूप से आर्मेनिया का हिस्सा था।
- **पर्वतीय प्रभुत्व:** आर्मेनिया की 85% से अधिक भूमि पहाड़ी है, जो स्विट्जरलैंड और नेपाल के समान है।

समाचारों में व्यक्तित्व

नर्गेस मोहम्मदी

नर्गेस मोहम्मदी (Narges Mohammadi)

1972 में जन्मी मोहम्मदी एक ऐसे परिवार से आती हैं जिनका राजनीतिक सक्रियता का इतिहास 1979 में ईरानी क्रांति से जुड़ा है।

योगदान:

- **महिलाओं के अधिकारों की वकालत:** वह ईरान में महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों की समर्थक हैं।
- **स्वतंत्रता और समानता:** उनके काम का उद्देश्य अधिनायकवाद को चुनौती देते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है।
- **साहित्यिक प्रभाव:** मोहम्मदी की पुस्तक **"व्हाइट टॉर्चर"** मानवाधिकारों के हनन पर प्रकाश डालती है, विशेषकर एकान्त कारावास में।

पुरस्कार और सम्मान:

- ईरान में महिलाओं के अधिकारों, मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की वकालत करने के लिए उनके असाधारण समर्पण के लिए **'नर्गेस मोहम्मदी को 2023'** में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- वह तेहरान में **डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर** से जुड़ी हैं, जिसकी स्थापना एक अन्य नोबेल शांति पुरस्कार विजेता शिरीन इबादी ने की थी, जो मानवाधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

POINTS TO PONDER

- **हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस इंडो-आर्यन भाषा को लुप्तप्राय भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है?** - हक्की पिक्की आदिवासी समुदाय द्वारा बोली जाने वाली 'वागरी' भाषा को
- **किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत कोल्लेरू झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था?** - नवंबर 2002 के रामसर सम्मेलन
- **हाल ही में किसे 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?** - नॉर्वेजियन लेखक जॉन ओलाव फॉस (Norwegian author Jon Olav Fosse)
- **नागोर्नो-काराबाख संघर्ष (Nagorno-Karabakh conflict) के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत किसका समर्थन करता है?** - ओएससीई (यूरोप में सुरक्षा और सहयोग पर सम्मेलन) मिन्स्क समूह का
- **भारत ने कब और कहाँ से सीडीआरआई (आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन) की शुरुआत की** - 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में